

श्रीकर बनाम कृष्णा वती

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रां. फा. अस्थाई निषे. मु. नं. - 41/2019

304-23

पत्रावली आज चेय हुयी / वडील प्राची व पक्षडारान अनु० / प्रकरण में डीए समाप्त तक रुक-2 का कार-2 भावजात खिवाची गयी / वडील प्राची व पक्षडारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वडील प्राची व पक्षडारान डी अनुपस्थिती में प्राचीना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा डी अदम हाजरी व अदम पैरवी में रखागत रक्मा जाता है। पत्रावली केवल शुभाद डेका बाद तडमील दाखिल दफ्तर है।


20/01/23

दिलीप सिंह

अध्यक्ष कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

मीनाघोपुर (सीकर)

